

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....

// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 02.01.2018

क्रमांक 20/292/आउशि/संबद्धता/2017 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में

//2//

नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	पटेल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी इंदौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	मालवा इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट इंदौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.B.A (Hotel Management)3rd Year
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.C.A.
		B.Sc (Plain, Biotech, IT,Electronics)
		B.Com (Honours)
		B.Com(Plain, Computer Applicaton, Tax, Foreign Trade)
		B.B.A. (Plain, Foreign Trade)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० मनोज कुमार सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक : 02.01.2018

पृ०क्रमांक 21/292 /आउशि/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला (अग्रणी) इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 02.01.2018

क्रमांक 16/679/आउशि/संबद्धता/2017 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कम्पनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनके नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. कम्पनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

//2//

द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
2	कम्पनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	डेली कॉलेज इन्दौर
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	डेली कॉलेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट इंदौर
4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	B.B.A Management (First Year)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डॉ० मनोज कुमार सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक : 02.01.2018

पृ०क्रमांक 17/679 /आउशि/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला (अग्रणी) इन्दौर, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 11.1.2018

क्रमांक 326/926/आउशि/संबद्धता/2017 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन

//2//

पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
2	समिति का नाम	बेस्ट मोरल मल्टीपर्पस एजुकेशन सोसायटी बेडिया
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	कैम्पस आफ बेस्ट मोरल कालेज बेडिया जिला खरगोन
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.Sc. Seed Technology, Botany, Horticulture (First Year) B.Sc. Computer Science, Mathematics, Physics (First Year) B.Sc. (Soil Conservation and Water Management, Botany, Chemistry (First Year) B.A (Political Science, Sociology, Computer Application (First Year)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.Sc, B.Com, B.Sc. Microbiology (Existing)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्त एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० मनोज कुमार सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक : 11.1.2018

पृ०कं० 327/926/आउशि/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
 3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
 4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
 5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश।
 6. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्यप्रदेश।
 7. प्राचार्य, शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन(अग्रणी) म०प्र०.
 8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
 9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 18.01.2018

कमांक ५१६/६६७/आउशि/संबद्धता/२०१७ - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र २०१८-१९ के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है ।

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २६(१)(पांच) एवं धारा २४ (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है ।

३. सत्र २०१८-१९ की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कम्पनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनके नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि ७.१२.२०१७ तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि १५.१२.२०१७ तक प्राप्त किये गये ।

४. कम्पनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया ।

५. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



//2//

द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
2	कम्पनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	नीमा एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी इंदौर
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्रीजी डिग्री कॉलेज खरगोन
4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	B.Sc. (Chemistry, Mathematics, Physics) (First Year) B.Sc.(Botany, Chimistry, Soil Cons.& Water Management) (First Year) BBA (First Year) Commerce with Tax Procedure and Practice (First Year)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० मनाज कुमार सिंह)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक : 18.01.2018

पृ०क्रमांक ५१३/६६७/आउशि/संबद्धता/२०१७

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन(अग्रणी) मध्यप्रदेश।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....

// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 18.1.2018

क्रमांक 500/293/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में



//2//

नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	कांफीडर्स तकनीकी प्रशिक्षण संस्था इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	कांफीडर्स आईसेक्ट कॉलेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.A (First Year) (Political Science, History, Sociology) B.Sc.(First Year) (Botany, Chemistry, Computer Application)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.कॉम, बीबीए, बीएससी एम.एस.डब्ल्यू पीजीडीसीए, एम.कॉम

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डॉ० मनोज कुमार सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक : 18.1.2018

पृ०क्रमांक 501/293 /आउशि/संबद्धता/2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म०प्र०.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश